

**प्रश्नः**

# “परमेश्वर ने ऐल्डरों को ज्या अधिकार दिया?”

**उत्तरः**

ऐल्डरों या प्राचीनों के अधिकार को नकारने वाली कोई भी बात चाहे वह किसी विद्वान् या प्रसिद्ध प्रचारक द्वारा लिखी अथवा बोली गई हो, हानिकारक होती है। “अधिकार” (यू.: *exousia*) के यूनानी शज्जद के सज्जन्थ में तकनीकी रूप से इस सही वाज्य में एक जबरदस्त गिरावट मिलती है: “[इस शज्जद का] इस्तेमाल किसी ऐल्डर के काम से या मसीही व्यज्ञि के उसके प्रति व्यवहार के लिए कभी नहीं किया गया था।” यह भी कहा जा सकता है कि “अधिकार” के लिए यूनानी शज्जद का इस्तेमाल कभी किसी पिता के बच्चों के लिए या पिता के प्रति बच्चों के व्यवहार के लिए नहीं हुआ है, परन्तु बच्चों को अपने माता-पिता की आज्ञा मानना आवश्यक है! (देखिए इफिसियों 6:1)। इस प्रकार यह वाज्य, तकनीकी रूप से सही होने पर भी हानिकारक होगा। ज्योंकि ऐल्डरों के विषय में, यह वाज्य थोड़ा-बहुत उचित होने के बावजूद गलत प्रभाव देता है और हानिकारक है। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर द्वारा दिए गए ऐल्डर के अधिकार को व्युज्ञ करने और समझाने के लिए पांच महत्वपूर्ण शज्जद दिए हैं: “अध्यक्ष अर्थात् बिशप,” “प्राचीन अर्थात् ऐल्डर या पास्टर” “हाकिम,” और “भण्डारी।”

## “बिशप”

“बिशप” शज्जद का आधुनिक अर्थ जिसके अनुसार आज बिशप को कलीसियाओं की एक डायोसिस का मुखिया या प्रधान पादरी माना जाता है, नये नियम में नहीं मिलता। पवित्र आत्मा (यू.: *episcopos*) द्वारा प्रयुज्त शज्जद का इससे अधिक व्यापक अर्थ था। ऐपिस्कोपोस अर्थात्, अध्यक्ष, निगरानी करने वाला, रक्षक “किसी अधीन राज्य के लिए इन्स्पेरेटर या निरीक्षक के रूप में अथेने के लोगों द्वारा भेजे गए सरकारी अधिकारी को कहा जाता था।” नया नियम इस शज्जद को कलीसिया के उन अधिकारियों के लिए इस्तेमाल करता है जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के लोगों की निगरानी के लिए नियुज्त किया गया है (प्रेरितों

20:28; फिलिप्पियों 1:1; 1 पतरस 5:1-3)। उन्हें स्वामी या प्रभु कहलाने की मनाही थी और उन्हें अपना नमूना देकर बताना होता था कि मसीही लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, परन्तु उनकी अपनी देखभाल में रहने वाले मसीहियों की निगरानी करने की ज़िज़मेदारी भी होती थी।

### **“ऐल्डर”**

किसी मण्डली के बिशपों (अध्यक्षों या निरीक्षकों) को नये नियम में “प्राचीन” (Elders- यू.: *presbuteroi*; 1 पतरस 5:1) भी कहा गया है। स्थानीय कलीसिया के काम की निगरानी रखने के लिए बूढ़े आदमियों में से नियुक्त करने का विचार इस्थाएल के पुरनियों से लिया गया है (गिनती 11:16)। इस्थाएल की सभा (यू.: *sunedrion* या सनहेड्रिन; मज्जी 26:59), या कचहरी (मज्जी 5:22) में बुजुर्ग आदमी होते थे। प्रबन्ध करने वाली इस मण्डली को महासभा (यू.: *gerousia*; प्रेरितों 5:21) और पुरनियों की महासभा (यू.: *presbuterion*; लूका 22:66; प्रेरितों 22:5) भी कहा जाता था। फिर नये नियम की कलीसिया में, कुछ बुजुर्गों को अधिकारियों के रूप में चुना जाता था (प्रेरितों 11:30; 14:23; 20:17; याकूब 5:14)। सामूहिक रूप में, उन्हें “प्रेसबिटरी” या “ऐल्डरशिप” (यू.: *presbuterion*; 1 तीमुथियुस 4:14) कहा जाता था। यह बिल्कुल वही शज्द है जिसका इस्तेमाल यहूदी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करने वाली महासभा के लिए किया जाता था (लूका 22:66; प्रेरितों 22:5)। प्रभु की कलीसिया में इन भले लोगों को दी गई ज़िज़मेदारी के काम में इस प्रकार की टिप्पणियों से कुछ सहायता नहीं मिलती है:

“ऐल्डरशिप” कहाँ लिखा है? हमने तो शिपों (समुद्री जहाज) के पूरे बेड़े का अविष्कार कर लिया है। इस विचार को चुनौती देने का अर्थ काली गाय को लात मारने के जैसा है। कलीसिया पिन्नेकुस्त के दिन के बहुत बाद तक अस्तित्व में रही और फिर इसमें अचानक ऐल्डर नियुक्त किए गए।

जैसा कि हमने देखा है, “ऐल्डरशिप” या “प्रेसबिटरी” बाइबल का शज्द है (1 तीमुथियुस 4:14)। इसके अलावा, पौलस प्रेरित जिसने यह देखने के लिए काम किया कि “हर कलीसिया में” ऐल्डर नियुक्त हों (प्रेरितों 14:23), उसने कभी यह नहीं कहा कि ऐल्डर अचानक चुने जाएं या वे अतिरिक्त भार हैं। लीडरशिप का यह रूप बड़ी सावधानी से बनाई गई योजना का एक भाग है न कि अकस्मात होने वाली बात। पौलस ने तीतुस को क्रेते में “हर नगर में” प्राचीन ठहराने की ज़िज़मेदारी देकर छोड़ा (तीतुस 1:5)।

### **“चरवाहा”**

नये नियम में “रखवालों” और “प्राचीनों” या ऐल्डरों को “चरवाहे” अर्थात् “पास्टर” भी कहा गया है (इफिसियों 4:11)। “रखवाला” (यू.: *episcopos*) शज्द का विशेष

विचार किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अधीन राज्य की निगरानी करना है; “ऐल्डर” (यू.: *presbuteros*) से एक बुजुर्ग आदमी का संकेत मिलता है, और “चरवाहा” या “पास्टर” (यू.: *poimen*) शज्ज्द उसकी ओर संकेत करता है जो भेड़ों की देखभाल करता है। इन शज्ज्दों को कलीसिया में लाया गया जिससे कुछ बुजुर्गों द्वारा प्रभु के लोगों की रखवाली करने का पता चलता है, वैसे ही जैसे चरवाहा भेड़ों की रखवाली करता था। स्थानीय कलीसिया का चरवाहा स्वयं भी भेड़ होता है। वह जानता है कि उसे अपनी रखवाली भी करनी चाहिए (प्रेरितों 20:28) और उसे चाहिए कि अपने व्यवहार का हिसाब (रोमियों 14:12) प्रधान चरवाहे को ही दे (1 पतरस 5:4)। यदि प्रधान चरवाहा होता है, तो पतरस यह कह रहा था कि अधीन चरवाहे भी हैं। कलीसिया के स्थानीय अधिकारी का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति को नये नियम में प्रधान और अधीन चरवाहे के विचार को समझाने में कठिनाई होगी। इसके अलावा, चरवाहों को हाकिम न बनने देने वाले लोगों को मीका 5:2 में “प्रभुता” (moshel) के लिए इब्रानी शज्ज्द का अर्थ बताना कठिन होगा जिसका अनुवाद मजी 2:6 में “चरवाहा” के लिए हुआ है। इसके अलावा उन्हें प्रकाशितवाज्य 2:27; 12:5; 19:15 में “चरवाहे” के लिए यूनानी शज्ज्द का अर्थ करना भी कठिन होगा जिसका अनुवाद “राज्य करने” के लिए हुआ है।

सौ से अधिक सदस्यों वाली एक मण्डली में ऐल्डर बनने के योग्य लोग तो हैं, परन्तु उसमें कोई ऐल्डर नहीं है। जब उनके एक अगुवे से पूछा गया कि ऐसा ज्यों है, तो उसका उज्जर था, “हमने सुना है कि कुछ कलीसियाओं में ऐल्डरों के अधिकार को लेकर गड़बड़ होती है।” हो सकता है कि कहीं कुछ ऐल्डरों ने उस अधिकार से जो उन्हें नये नियम में दिया गया है, अधिक का दावा किया हो, परन्तु अच्छे ऐल्डरों के न होने का यह तो कोई कारण नहीं है। इसी तरह प्रचारकों ने इस अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है, चाहे अच्छे प्रचारक वे न हों। दो गलतियां मिलकर सही नहीं हो जातीं। ऐल्डरों के लिए उस अधिकार का दावा करना जो उनका नहीं है गलत है, परन्तु योग्य पुरुषों को ऐल्डर न चुनना भी सही नहीं है। इस मण्डली में जाने पर, पता चला कि यह मण्डली ऐल्डर नियुक्त करने से ज्यों डरती थी। नोटिस बोर्ड पर, किसी ने एक लेख चिपका दिया था जिससे हर पढ़ने वाला ऐल्डरों की नियुक्ति का विरोध करता है! उस लेख से यह प्रभाव दिया गया कि “चरवाहा” शज्ज्द केवल यीशु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ज्योंकि “साधारण लोगों” द्वारा अपने आप को “चरवाहे” कहलाना ढीठपन होगा। लेख में कहा गया कि “लाक्षणिक रूप में इस शज्ज्द का इस्तेमाल यीशु के लिए होता है न कि मनुष्यों के लिए। जो स्वयं भेड़ है वह चरवाहा कैसे हो सकता है।” लोगों के सामने ऐसी शिक्षा आने से आश्चर्य नहीं कि उस मण्डली में ऐल्डर ज्यों नहीं हैं।

### **“प्रबन्ध करने वाला”**

ऐल्डरों के अधिकार की ओर ध्यान दिलाता एक और शज्ज्द उन्हें प्रबन्ध करने वाले बनने की आज्ञा देता है (यू.: *proistemi*, 1 तीमुथियुस 5:17; देखिए 1 थिस्सलुनीकियों

5:12)। प्रबन्ध करने वालों के रूप में ऐल्डरों का काम अपने परिवार की देखभाल करने वाले पिता की तरह प्रभु के लोगों की देखभाल करना होता है (1 तीमुथियुस 3:4, 5)। कलीसिया पर कुछ लोगों के अधिकार की ओर ध्यान दिलाता ऐसा ही एक शज्जद है *hegeomai* (इब्रानियों 13:7, 17, 24) जिसका अर्थ है “आगे जाना; अगुआ होना; शासन करना, आज्ञा देना; पर अधिकार होना।”<sup>12</sup> इस शज्जद के साथ अधिकार के जुड़े होने को मिसर के राज्यपाल या हाकिम के रूप में यूसुफ (प्रेरितों 7:10) और राजकुमार या राज्यपाल के रूप में यीशु के वर्णन (“राज्य करने वाला”; मज्जी 2:6) में देखा जा सकता है। कलीसिया में कुछ लोगों की बात मानना आवश्यक है और कहा गया है कि वे लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए (इब्रानियों 13:17) जागते रहते हैं (यू.: *agrupneo*)।

कलीसिया में प्रबन्ध की ओर ध्यान दिलाता एक और शज्जद *kubernao* है (1 कुरिस्थियों 12:28) जिसका अर्थ है “पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन देना,” इसमें प्रबन्ध करने का सुझाव भी है। प्रबन्ध करने वाले रखने का पूरक उनकी आज्ञा मानने वाले होना है। इब्रानियों 13:17 के “मानो” (यू.: *peitho*) और “अधीन रहो” या “आज्ञा मानो” (यू.: *hupeiko*) में यही अर्थ मिलता है।

### “भण्डारी”

ऐल्डर के अधिकार का एक अलग विचार “भण्डारी” अर्थात् प्रशासक या प्रबन्धक शज्जद है (यू.: *oikonomos*, तीतुस 1:7)। इरास्तुस ओइकोनोमोस (“भण्डारी”; रोमियों 16:23) अर्थात् कुरिस्थुस का नगर प्रधान ही था जो कि एक अधिकार वाली स्थिति है।

### सारांश

ऐल्डरों को कभी-कभी अप्रिय कार्य भी करने को दिया जाता है और वह कार्य कुछ लोगों का “मुँह बन्द करना” है (तीतुस 1:11)। अच्छे नमूने बनने के अलावा यदि ऐल्डरों के पास कोई अधिकार ही न हो तो मुँह बन्द करने वाले या पुलपिट में कुछ प्रचारकों को बोलने से मना करने वाले वे कैसे हो सकते हैं। वही परमेश्वर जिसने हमारे प्राणों की जिज्मेदारी के लिए ऐल्डरों को बनाया उसी ने हमें उनके अधीन किया है (इब्रानियों 13:17)।

### पाद टिप्पणियां

‘हेनरी जॉर्ज लिड्ल और रॉबर्ट स्कॉट, ए ग्रीक इंग्लिश लौज़िस्कन, 25वां संस्क., ABR and REV (लंदन: ऑक्सफोर्ड, ज्लेरेंडन प्रैस, 1892), S.V. “एपिस्कोपोस।”’ सी. जी. विल्के एण्ड सी. एल. विलिबल्ड प्रिज्म, ग्रीक इंग्लिश लौज़िस्कन ऑफ द न्यू टैस्टामेंट, 12वां संस्क. अनु. व संशो. जोसफ एच. थेयर (ग्रैंड रैपिड्स, मिशी.: जोन्वर्नन पज्जिलशिंग हाउस, 1973), 276.